

फर्द अहकाम
(नियम 28)

2020/00203

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री ललित मेघवाल पुत्र श्री मन्छाराम
जाति मेघवाल
नेवासी पुरानी बस्ती नई टंकी के पास सुमेरपुर
जिला पाली

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 05 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरौही को दिनांक 10.03.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा वन विभाग कार्यालय सिरौही के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की 10.02.2020 की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की रिकॉर्डिंग संबंधित लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरौही को दिनांक 01.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया था कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरौही को दिनांक 10.03.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा वन विभाग कार्यालय सिरौही के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की 10.02.2020 की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की रिकॉर्डिंग की सूचना उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसन्न)
जिला कलक्टर



211-13
13/8/20